कार्यवाही विवरण

(1) मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (पार्टनर–श्री रोहित सिंघानिया, कुरदी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 652/2, 665, 666/1, 666/2, 666/3, 667/2, 667/3, 669, 670, 671, 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 675/1 एवं 675/2, कुल क्षेत्रफल 2.58 हेक्टेयर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–2,00,023.69 टन प्रतिवर्ष (2) मेसर्स श्री अश्विन पटेल (कुरदी फ्लेग स्टोन माईनिंग), ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 350/2, 358, 359, 360/1, 360/3, 360/4, 363/2, 351, 352/1, 352/2 एवं 360/2, कुल क्षेत्रफल–2.65 हेक्टेयर में फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–18,881.25 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई दिनांक 03.01.2022 को दोपहरः 12:00 बजे स्थान– शासकीय उचित मूल्य दुकान के सामने मंच और खुला मैदान में, ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद (छ.ग.) में आयोजित संयुक्त लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत (1) मेसर्स सिंघानिया इंटरप्राईजेस (पार्टनर–श्री रोहित सिंघानिया, कुरदी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 652/2, 665, 666/1, 666/2, 666/3, 667/2, 667/3, 669, 670, 671, 673/1, 673/2, 673/3, 673/4, 675/1 एवं 675/2, कुल क्षेत्रफल 2.58 हेक्टेयर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–2,00,023.69 टन प्रतिवर्ष (2) मेसर्स श्री अश्विन पटेल (कुरदी फ्लेग स्टोन माईनिंग), ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद स्थित खसरा क्रमांक 350/2, 358, 359, 360/1, 360/3, 360/4, 363/2, 351, 352/1, 352/2 एवं 360/2, कुल क्षेत्रफल–2.65 हेक्टेयर में फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–18,881.25 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई के संबंध में परियोजनाओं के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों द पायोनियर, नई दिल्ली दिनांक 30.11.2021 एवं नईदुनिया, रायपुर दिनांक 30.11.2021 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 03.01.2022 को स्थान–शासकीय उचित मूल्य दुकान के सामने मंच और खुला मैदान में, ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए.नोटिफिकेशन 14 सितम्बर 2006 (यथा–संशोधित) के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के अवलोकन/पठन हेतु ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा तथा सी.डी. (साफ्ट कॉपी) डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर ईस्ट विंग न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–बालोद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–बालोद, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला– बालोद, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कुरदी, जिला–बालोद, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला,

भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास, भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजनाओं के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां लोक सुनवाई की सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजनाओं के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उपरोक्त परियोजनाओं की लोक सुनवाई निर्धारित तिथि 03.01.2022 को दोपहर 12.10 बजे संयुक्त कलेक्टर, जिला–बालोद की अध्यक्षता में स्थान–शासकीय उचित मूल्य दुकान के सामने मंच और खुला मैदान में, ग्राम–कुरदी, तहसील–गुण्डरदेही, जिला–बालोद (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम संयुक्त कलेक्टर, जिला–बालोद द्वारा निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उक्त परियोजनाओं की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री बुद्धदेव पाण्डेय, ए0सीरीज, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

संयुक्त कलेक्टर, जिला–बालोद द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजनाओं के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री रामजी साहू , ग्राम–कुरदी , जिला–बालोद।**

- जो अभी हमारे यहां संचालित है। सिंघानिया इंटरप्राईजेस और अश्विन पटेल पत्थर खदार के बारे में अपनी जानकारी और सुझाव के बारे में बोलना चाहूंगा। तो प्रथम बात यह है कि यहां पर जो सिंघानिया इंटरप्राईजेस संचालित है। उसमें पर्यावरण के बारे में बोल रहा है। जो कृषि भूमि है। वहां पर केशर लगा हुआ है। उसका जो धूल उडता है वो हमारे धान की पैदावारी है उसमें जाकर डस्ट जम जाती है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनके पास और रोड से जो रोड से चल रहा है । वहां पर इतना धूल उडता है। उससे हमारे जितने भी परिवार उस रोड से चल रहे हैं। उसको आंख में धूल की प्राबलम आती है। जिससे धूल की ज्यादा संभावना है और ब्लास्टिंग हो रहा है। ब्लास्टिंग से जो पत्थर कृषि भूमि पर जाती है। उसका कोई उठाव नही है। जिससे किसान भाई परेशान है और हमारे ग्राम की जो खास जमीन है जो शमशान भूमि से आती है उसमें अवैध रूप से मिट्टी डाल रहे हैं। उसको हटाया जाये। ग्रामीण के हिसाब से अवैध रूप से बहुत सारे हैं। अश्विन भाई पटेल की जो खदान है। वो

रोड से लगा हुआ है । यहां पर इतना असुविधा हो रहा है कि परिवहन चलने के लिए कि रात में अगर वहां से पार्किंग किया जाए तो माईंस के लाईट से रोड पता ही नहीं चलता। इससे दुर्घटना की संकट ज्यादा है। वहां हर मालिकों को चाहिए कि स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करें रोड में और जो वहां पर ब्लास्टिंग हो रहा है वहां पर खनन इतनी ज्यादा है और ब्लास्टिंग के माध्यम से हमारे कृषि भूमि की जो पानी की क्षमता और वाटर लेवल नीचे जा रहा है। इससे पानी की समस्या हमारे गांव में ज्यादा है। तो मालिकों द्वारा हम यह चाहते हैं कि गांव में उसकी व्यवस्था किया जाये और वहां पर एक चीज और है मेरी दृष्टि से मैं देखता हूं जिस हिसाब से सिंघानिया इंटरप्राईजेस से लगा हुआ हमारे स्कूल की जो भूमि है। वहां बंजर स्थिति है वहां पर कोई कृषि करना नही चाहता। गांव के हिसाब से उसको निस्तारी के रूप में किये जाये। कोई भी किसान भाई को जिस राशि से गांव के बच्चे के उद्धार के लिए होता है। आज वहां बंजर की स्थिति है। तो उस दिशा में सिंघानिया इंटरप्राईजेस एवं अश्विन भाई पटेल या सभी खदान मालिकों से निवेदन है कि वो हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य है। वहां पर महोदय जी से आग्रह करता हूं कि वहां कि भूमि की रख–रखाव के लिए कुछ राशि प्रतिवर्ष आनी चाहिए। क्योंकि उससे हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जाती है। वो आज की स्थिति में पूरी बंजर पड़ी हुई है और हमारे गांव की समस्या यह है कि सिंघानिया इंटरप्राईजेस द्वारा शमशान भूमि एक प्रकार से अवैध कब्जे के रूप में हो गया है और हमारे यहां चारा–घांस की समस्या है उसमें भूमि में पूरा पत्थर है। हमारे मवेशी घांस, पत्थर खाएंगे या गाय–चारा खाएंगे। इससे पर्यावरण बहुत ज्यादा दूषित है। इतनी बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

2. **श्रीमती प्रेम बाई , ग्राम–कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ मोर खेत–खार नहीं हे। मैं माँग–माँग के खाथों में हां। मोर समस्या ला दूर करहू। बहुत कष्ट हे मोर उपर, मोला कोई देने वाला नहीं हे।

3. **श्रीमती मोतीम बाई, ग्राम–कुरदी, जिला–बालोद।**

➢ गांव के सरपंच बने हे। 5 साल होगे मोर आदमी ल खतम हुए निवेदन ल भी वापिस भेज देथे। उपर भेजना चाहिए आवेदन ल काबर नही भेजाथे।

4. **श्री संजय कुमार साहू , ग्राम–कुरदी , जिला–बालोद।**

इसमें न्यूनतम मजदूरी दर कितना है ? और सेफ्टी के लिए क्या–क्या किया जाता है। माईंसों के द्वारा इसके बारे में मैं जानकारी चाहूंगा। धन्यवाद।

5. **श्रीमती फुलवासिन बाई, ग्राम–कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ में सबसे हांथ जोडत हो। मोर पति ल 30–35 साल होगे कुछ काम नहीं करे। आउ गली–गली म विकलांग घूमत हे। बार–बार विकलांग के नाम से देथों 75 प्रतिशत विकलांग हे। बार–बार आवेदन देथों वापस आ जाथे। कोई देख–रेख नहीं होये ओखर से, घर के कोई सदस्य ल नहीं जाने, अपन पत्नी ल नही जाने, बेटा–बहू ल भी नही जाने। एकदम ओखर दिमाग ह खराब होगे हे। विकलांग हे कुछ नही कर सके।

6. **श्रीमती सुखवंतीन बाई, ग्राम–कुरदी, जिला–बालोद।**

➢ 15 साल होगे मोर आदमी ल खतम हुए। मोला कुछ नहीं मिलै। मोर बेटा–बहु मन मोला कहिथे।

7. **श्रीमती कुन्ती बाई, ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ 2 साल बीतगे मोर आदमी ल पेंशन नहीं मिलत हे।

8. **श्रीमती पुनिया बाई, ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ में निराश्रित पईसा के लिए कई बार फॉर्म भर रहा हूं। फिर भी नहीं मिल रहा है। मैं 60–65 साल का हो गया हूं।

9. **श्री उर्मिला, ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ मैं 35 साल के विधवा हो। कई बार जाथों नहीं मिले कहिथे 2002 के तुम्हारी सूची नहीं हे कहिथे। हरदम वही बोलथे राचिव ह।

10. **श्री सोहनलाल निषाद , ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ मैं अपना विचार रखना चाहता हूं। जो कि हमारे यहां ग्राम–कुरदी में विगत कई वर्षों से 14 खदान संचालित हैं। अभी वर्तमान में 02 खदान और हैं। अपने लीज के लिए गौण–खनिज के लिए आवेदन किया है। हम उन पट्टेदारों से निवेदन करना चाहते हैं या आग्रह करना चाहते है। वे हमारे ग्राम में ग्रामीण व्यवस्था के अनुसार खदान संचालित कर सकते हैं। हम भी खदान से जुडे हैं। वहां मजदूरों को बहुत ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो रहा है। सिंघानिया इंटरप्राईजेस है उनको इस सुविधा से अवगत करा रहे है। वे हमारे ग्रामीण व्यवस्था के अनुसार जैसे कोई त्यौहार है उस त्यौहार में हमारी ग्रामीण व्यवस्था के अनुसार सहयोग प्रदान करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

11. **श्री ढालचंद देवांगन , ग्राम– कुरदी, जिला–बालोद।**

➢ मे0 सिंघानिया इंटरप्राईजेस के अंतर्गत मैं सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत हूं। यहां 14 खदानों के बाद 02 खदान का और लीज लग रहा है लेकिन वहां रोजगार का सुअवसर मिलने को बहुत बड़ा साधन है। हमारे गांव के साथ–साथ आसपास के गांव वालों को भी रोजगार मिलता है और रही बात गाड़ी, घोड़ा चलने का धूल का बात आया था लेकिन उसमें पानी डलवाने का भरसक प्रयास करते हैं और डलवाया भी जाता है और वहां से मिट्टी, पत्थर ऐसे अवैध तो मेरे अनुसार से होगा कुछ कम समय में या कोई भी जगह लेकिन हमारे अनुसार, हमारे तरफ से अनरगल मिट्टी, पत्थर नहीं डाला गया है और डाला भी गया होगा तो उसको हम तुरंत साफ कर देंगे। तो हम आग्रह करते है कि रोजगार का सुअवसर मिलने के कारण इनको लीज स्वीकृत किया जाये। धन्यवाद।

12. **श्री सदाराम , ग्राम– कुरदी, जिला–बालोद।**

➢ मैं कई बार पेंशन के बारे में बोल चुका हूं लेकिन कोई देखरेख नहीं किया जाता है। पेंशन मिलना चाहिए।

13. **श्री रमेश कुमार , ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ हमारे ग्राम–कुरदी में क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई की ओर से यहां संचालित किया जा रहा है। अतः जिन सज्जनों ने कुछ मांग रखी है। यहां आकर कि जब हम रोड पर चलते हैं तो बिजली की सुविधा होना लाजिमी है कि बिजली की सुविधा हो और हम चाहते है। यहां पर लगभग 14 खदानें संचालित है और लगभग हजार से उपर वर्कर भी यहां पर काम करते है। जो खदाने संचालित हैं। तो हम यही चाहेंगे बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार का सुअवसर है और हम चाहेंगे कि संचालित हो तो मैं यही चाहूंगा। धन्यवाद।

14. **पुनः उद्‌बोधन श्री रामजी , ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ मैं फिर से एक बार आया हूं। हमारे ग्राम प्रमुख जिस प्रकार से अपनी बात रखे थे। उस पर बहुत लाजिमी है। क्योंकि हम लोग ग्रामीण स्तर से आते हैं और यहां ग्रामीण

है तो किसी प्रकार से गांव में व्यवस्था बनाने के लिए जैसे कि अभी चल रही है कोरोना महामारी तो इस व्यवस्था के लिए हमारे गांव स्तर में पंचायत है कि किसी भी प्रकार से अगर देवी–देवता है उसे अगर मनाने से कुछ समस्या का हल होता है तो इस रूप में त्यौहार का आयोजन करते हैं। हम चाहते हैं कि खदान मालिक हैं उसमें हमको मदद करते हैं तो हम चाहते हैं कि सिंघानिया इंटरप्राईजेस भी हमारी ग्रामीण व्यवस्था में हमारी मदद करे। इसी बात को अभी हमारे ग्राम प्रमुख कह रहे थे और एक भाई अपनी बात रखे थे क्योंकि वह मजदूर वर्ग से आते हैं। यहां जो संचालित है माईंस जो खदान एरिया में आते हैं और यह एक कठिन परिश्रम वाला काम है तो मैं मालिकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से भिलाई स्टील प्लाण्ट है वहां पर भी मजदूरी से ही काम होता है, वह भी भारी भरकम वाला काम है। यहां पर भी जिस प्रकार से मजदूर शासकीय, अर्द्धशासकीय, दैनिककर्मी के रूप में कहा जाये । सभी लोग वहां पर काम करते हैं। किसी प्रकार से हमारे ग्रामीण स्तर पर खदान संचालित है तों दैनिककर्मी के रूप में जाते हैं। वहां पर मजदूरों को सुविधाएं मिलती हैं। वह यहां पर नही मिल पाती। जो कि हमारे मजदूर भाई को मैं देखता हूं कि किसी समय अगर दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना होने के बाद वो आजीवन निःशक्त है और यहां तक की वो परिवार पालने के लायक तक नहीं रहता। घर का मुखिया होने के नाते उसकी स्थिति आज बहुत ही गरीबी स्थिति में आ गया है। तो महोदय जी से निवेदन करता हूं कि अगर उन लोगों का लीज का संबंध है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो भी मजदूर है उसके हित चाहते हुए उसको कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में होते हुए लीज की अनुमति दिया जाये। क्योंकि लीज इसलिए दिया जाये ग्रामीण स्तर से रोजगार तो है नहीं कृषि के बाद अगर कुछ है तो कुछ मालिकों द्वारा अपने फैक्ट्री वगैरह है। इसी से अपना जीवनयापन कर सकते हैं ग्रामीण आदमी। तो मैं चाह रहा हूं कि हम रहेंगे तभी तो मालिक रहेंगे और काम होगा। हमारे गांव में ऐसा है कि बहुत पढ़ा–लिखा आदमी भी है, बच्चे लोग भी है। तो प्रथम तर्क यह होना चाहिए कि अगर किसी प्रकार से वेकेंसी लेते है मालिक लोग कम्प्यूटर के लिए, सुपरवाईजर के लिए तो ग्रामीण के बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाये। इससे हमारे बच्चों की बेरोजगारी कुछ हद तक कम होगी। अगर हमारे गांव में माईंस एरिया है और हमारे गांव के बच्चे अगर बेरोजगार है तो इससे दुखद बात क्यो हो सकती है हमारे लिए। तो मालिकों से आग्रह है कि सबसे पहले जहां कि कृषि भूमि को आप खनिज उत्पादन के लिए जमीन अपने व्यापार के लिए ले रहे हो तो वहां के बच्चों को प्रथम दर्जा देना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उस स्थिति में आप बाहर के रख सकते हो क्योंकि आपको व्यापार करना है। इस बात को ध्यान रखा जाये महोदय जी। धन्यवाद।

15. **श्री घनाराम मेश्राम, ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ खदान खुलने से रोजगार मिलता है और शासन को राजस्व मिलता है। जिससे गांव का विकास होता है। हमारे यहां का पत्थर बाहर जाने से गांव का नाम रौशन होता है। खदान खुलने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

16. **श्रीमती हीरा बाई , ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ मोर उमर बहुत होगे हे। मैं पढ़े लिखे नहीं हों। पइसा मिले मोला।

17. **श्री परमेश्वर देवांगन , ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ खदान के खुलने से अपने ग्रामीण बन्धु को रोजगार के लिए दूसरे जगह की आवश्यकता नहीं होती। खदान खुलना चाहिए ताकि जो अपने गांव के जो मजदूर

किसान भाई हैं। वो कहीं बाहर पलायन न करें। जिससे रोजगार की सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

18. **श्री खेमेन्द्र देवांगन , ग्राम– कुरदी, जिला–बालोद।**

➢ विगत 20 साल से खदान में सुपरवाईजर का काम किया है। अभी मेरे पास खुद की गाड़ी है और पिछले छः सालों से यहां पर रेंट में किराये में लोडिंग का काम चल रहा है। उसमें मेरे को रोजगार का साधन मिल रहा है। खदान खुलना चाहिए मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। सभी को रोजगार मिल रहा है। आसपास के 11 से 12 गांव के आदमी यहां पर काम कर रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया रोजगार, रोजी कमाकर जा रहे हैं और अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे है। धन्यवाद।

19. **श्री भूपराम साहू , ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ हमारे यहां 14 खदान हैं लेकिन इनके गड्ढों को जाकर देखो खदान की। हमारे किसान के खेत का पानी पूरा खदान में गिरता है। हम मजदूर हैं। हमारा धान पकना मुश्किल हो जाता है। तो हम कहते है कि उसकी खदान को देखो कितना फीट गड्ढा है। हम किसान बर्बाद हो रहे हैं। हमारे बच्चे लोग कमाते जरूर हैं। हमारे गांव चार आना काम कर रहे हैं, बारह आना बाहर से आ रहे हैं। देवी–देवता को यह नियम से नहीं मानते ये सिंघानिया हमारे देवी–देवता को बंदी कर रखा है। हमें उस जगह में आने–जाने में परेशानी होता है। हम बार–बार बोले हमारे लिए रास्ता बना दो। मानते नहीं हैं। खदान में कितना गड्ढा है उसको जाकर देखो 30–40 फीट गड्ढा है। हमारे किसान का पानी कहां रूकेगा उसके खदान में आता है और ये पानी को नाला में फेंक देते हैं। हमारे किसान बर्बाद हो रहे हैं। हमारे खेत में पानी नहीं रूकता, बोर नहीं चलता, नीचे उतर जाता है सतह में। पूरा 14 खदान में जाकर देखों। हम यहां बात भी किये थे बरसात में खदान में मशीन नहीं चलना है। एक दिन बात किया फिर वैसा हो गया। हम गांव में देवी–देवता का सेवा करेंगे, देवी –देवता के रास्ता को खोल दिया जाये और हमारे त्यौहार पर कोई बाधा न डाले। हम जो कहेंगे उस नियम पर चलेगा। हमारे कोई नियम को नहीं मानते हैं। मुझे 70 साल हो गया पेंशन के बारे में मुझे कुछ नहीं मिलता है। धन्यवाद।

20. **श्री महेश कुमार साहू , ग्राम– कुरदी, जिला–बालोद।**

➢ हम अभी बहुत आदमी के विचार सुने हैं और खदान के संबंध में अपने विचार मतलब खुलना चाहिए या उसको लीज मिलना चाहिए इस टाइप के बोलने वाले ज्यादा हैं। क्योंकि वो खदान से जूडे हैं। वो खदान से जूडें है इसलिए उनको लीज मिलना चाहिए अगर खदान बंद हो जाएगा तो वो भी बाहर हो जाएंगे इसलिए उसको लीज चाहिए। वो किसान को नहीं देख रहे हैं। कितना गड्ढा होना चाहिए उसको पूछो 60 फीट गड्ढा हो गया। वहां से जितना खदान का एरिया है वहां से 200, 250, 300 फीट तक से जो खेत है वो सूखा पड़ा है। उसको वो नहीं देख रहा है। मेरे हिसाब से जिसका लीज खतम हो गया है उसको लीज दोबारा मिलना ही नहीं चाहिए। किसान गांव मे ही नहीं रहना चाहिए। कुरदी को ही हटा दो, पूरा गांव को खदान बना दो। रोड बनाया 335 फीट 22 मीटर चौड़ा, गेहूं बोया था पूरा डाल दियां बोला मुआवजा देंगे। एक पईसा नहीं दिया। अभी सुपरवाईजर बता रहा था कोरोना काल है पईसा दे देगा। गांव का आदमी वो ये नही बोल रहा है। उसका मुआवजा देंगे दे दो। सामने आते ही फिर उसका पूरा लूट खसोट है। यहां कहते है थोड़ा वाला को पकड़ो ज्यादा वाला को छोड दो। थोडा बहुत को तुरंत सफाई करवाएगा। एक दो एकड़ दबाकर

बैठा है। उनको कोई कुछ नहीं बोलता। क्योंकि उनके पास दबदबा है पैसा का, गरीब आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी को दबा देता है। अगर गांव में किसान चाहिए तो खदान का लीज नहीं चाहिए और लीज देते हे तो किसान को यहां से हटा दो। आन गांव में नहीं होता क्या किसान और मजदूर जो यहां कुरदी में ही जीवन चलाएगा। कुरदी से ही उनका जीवन है क्या ? आन गांव वाले सुखी से अपना जीवन चला रहे हैं। जाकर देखो। जिस एरिया में पूरा लाकड़ी, गेहूं बोया जाता था। वो पूरा सूखा है क्योंकि वहां पानी रूकता ही नहीं। इसलिए किसी को ध्यान ही नहीं है। हमारे गांव का जो और खेत है उसका नुकसान हो रहा है। अभी इनसे पूछो खदान वालों से कि अपना मटेरियल कहां रखता है। वो क्या निजी जमीन में है, कितना निजी जमीन मे रखा है और कितना बाहर मे रखा है, बाहर में अधिक अपना जमीन में कम। पानी कहां डालता है वो अपने जमीन में डालने के लिए लीज लिया है कि बाहर में डालने के लिए लीज लिया है। हमारे गांव से बाखड़ा से नहर से नाला आया है जाकर देखो बरसात में तो उसमें सूखा रहता है और अभी जाकर देखो तो पूरा नाला मे पानी भरा हुआ है। जो नाली है जगह–जगह से बंद है बंद कर दिया गया है। उसको कोई नहीं देख रहा है। इससे अच्छा गांव के किसान को ही हटा दिया जाये। जितने लोगों ने अभी बोला होगा वो खदान से संबंधित है, खदान से ही उसका जीवन है। वही आदमी बोल रहा है कि लीज होना चाहिएं। दूसरा आदमी कोई नहीं बोल रहा है कि उसको लीज मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से जिसका लीज खतम हो गया है उसको दोबारा लीज मत दिया जाये। ताकि यहां किसान का काम चले ओर जो बंद हो गया है उसको बराबर पटा दिया जाये। अभी पहली बार हो रहा है। ग्रामसभा के माध्यम से सुनवाई हो रहा है। इससे पहले पता नहीं कब खुल जाता था। पंचायत में अपना प्रस्ताव रख दिया पंचायत बिक गया। खुल गया। सिंघानिया का कब खुला पता ही नहीं चला। कब प्रस्ताव हुआ। अपना पेट भर गया बाकि को छोड दिया। इस टाइप का यहां कानून कायदा है। इसलिए जितने लोग खदान से जूडे हुए हैं। मुंशी, सुपरवाईजर वही लोग बोल रहे हैं कि हमें लीज से कोई आपत्ति नहीं है। किसान से पूछो किसान बताएगा वास्तविकता क्या है। जिसका जमीन नजदीक लगा हुआ है 200, 250, 300 फीट तक वो आदमी बताएगा। उसके खेत में कितना फसल हुआ है इस साल। वहां धान काटने के लिए मजदूर के लिए नहीं होता। इस हिसाब से जिसका खत्म हो गया है लीज उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। बस मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

21. **श्री मयाराम देशमुख , ग्राम– मटेवा , जिला–बालोद।**

➢ खदान खुलना चाहिए। जिससे हमें रोजगार की सुविधा हो सके। खदान खुलने से रोजगार के साथ–साथ जीवनयापन चलाने में सहायता होता है। खदान चलने से स्वास्थ्य, ईलाज के लिये मालिकों द्वारा ईलाज की सुविधा दिया जाता है। खदान का पानी सिंचाई के लिये दिया जाता है। जय हिन्द, जय भारत, जय छ.ग.।

22. **पुनः उद्बोधन श्री रामजी, ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ सर जो आदमी खदान से जुड़ा है वही आदमी खदान के बारे में बोलेंगे।

23. **श्री प्रीतम कुमार निषाद , ग्राम– कुरदी , जिला–बालोद।**

➢ पानी बारिश में नई देते हैं। अभी बोल रहे है बारिश में पानी देते हैं। अभी जाकर देखो मेरे नाली से खेत लगा हुआ है। बारिश में मांगों तो एक बूंद तक नहीं देते ये लोग। यही समस्या है। अभी पूरा नाली में जाकर देखो पानी बह रहा है। बारिश में बूंद नहीं

देने वाले ठेकेदार लोग सही की गलत बोल रहा हूं ? मेरी मां का भी वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन दिया हूं। 25–30 साल हो गया मेरे पिताजी को खत्म हुए कई पंचवर्षीय हो गया। कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 30 साल से ज्यादा हो गया है खत्म हुए। 10 किलो चांवल मिल रहा था। उसको भी काट दिया। कोन हा अंधा हे ये तुम सोच लो हम लोग अंधा हैं कि सरकार अंधा है। 10 किलो चांवल को भी बिल्कुल बंद कर दिया।

24. **पुनः उद्बोधन श्री रामजी, ग्राम–कुरदी, जिला–बालोद।**

➢ हम लोग ग्रामीण वर्ग से हैं। तो माईक मे एकाएक अपनी बात नहीं रख पाते इस वजह से हमको उठकर आना पड़ता है कि उन लोगों को दर्द क्या है ? उनकी बात को हम लोग बोल देते हैं तो उन लोगों को हमारी बात रखी ऐसा सोचते हैं । पानी वाली समस्या आ रही है। खदान मालिक 12 महीना अपना खदान उत्पादन कर रहे हैं। अगर 12 महीना खदान उत्पादन हो रहा है तो बरसात के समय किसान का फसल रहता है। खदान मालिक अगर किसान को पानी देता है तो असुविधा नहीं होती। इसी पीड़ा को हमारे किसान भाई बोल रहे हैं। अभी जिस प्रकार से रबी फसल का समय है। खदान में आप जाकर देखिये कि कितना पानी है। उस पानी को नाली में फेंका जा रहा है। उस पानी को अगर किसान को दिया जाये तो किसान का क्या नुकसान होता, नुकसान तो होता ही नहीं। हम लोगों को पट्टे भूमि के लिए जमीन दे रहा है। किसान करेगा ही क्या खाने के लिए ही नहीं रहेगा तो। यही पीड़ा को हमारे किसान भाई बोल रहे हैं।

25. **श्री पुखराम पटेल, ग्राम–कुरदी, जिला–बालोद।**

➢ ये माईंस का लीज होना चाहिए। क्योंकि यहां रोजगार का अवसर मिलता है। साथ ही मालिकों से आग्रह है कि यहां कुरदी में जो भी समस्या है। उसका समाधान करते हुए काम करें। धन्यवाद।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद संयुक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब संयुक्त कलेक्टर जिला बालोद द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री बुद्धदेव पाण्डेय, ए0सीरीज, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा परियोजनाओं के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

आज दिनांक 03.01.2022 को ग्राम–कुरदी, तहसील– गुण्डरदेही, जिला–बालोद में मे0 सिंघानिया इन्टरप्राईजेस (पार्टनर–रोहित सिंघानिया) कुरदी चूना पत्थर खदान रकबा 2.58 हेक्टेयर एवं अश्विन पटेल कुरदी फर्शी पत्थर खदान रकबा 2.65 हेक्टयर, कुल आवेदित रकबा 5.23 हेक्टेयर पर हम सभी आवेदक पर्यावरण स्वीकृति प्रकिया के तहत् जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा सुझाये गये विकल्पों को स्वीकार करते हुए माननीय संयुक्त कलेक्टर, बालोद एवं माननीय क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई को यह आश्वासन देना चाहते है कि हमारे द्वारा प्रस्तावित खदानों का संचालन अनुमोदित उत्खनन योजना में उल्लेखित नियमों के अनुरूप किया जायेगा एवं खदान संचालन के दौरान

खनिज शाखा तथा पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा। इसके साथ ही :–

- ❖ हमारे द्वारा स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी और मजदूरी का भुगतान नियत समय पर किया जाएगा। शासकीय नियमानुसार मजदूरों को मजदूरी एवं अन्य राशि दी जाएगी।
- ❖ स्थानीय निजी वाहन स्वामियों को खदान में रोजगार के साथ शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान समय से किया जावेगा एवं मजदूरों की सुरक्षा के लिए माईन्स नियम 1956 के अनुसार समस्त आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान किये जाएंगे। इस हेतु 2.50 लाख प्रतिवर्ष एवं 4.0 लाख पूंजीगत लागत पर खर्च किया जाएगा।
- ❖ वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को कम किया जावेगा। सड़कों का उचित रख–रखाव तथा वाहनों का संचालन तारपोलिन से ढंककर किया जावेगा।
- ❖ कारपोरेट इन्वायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी के तहत् स्थानीय शासकीय स्कूलों में आवश्यकतानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग संयंत्र, टॉयलेट में रनिंग वाटर की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था तथा स्कूलों में वृक्षारोपण पर 2.11 लाख रूपए व्यय किये जायेंगे। EMP के तहत् सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।
- ❖ ग्रीन बेल्ट योजना के तहत् खदानों की सीमा क्षेत्र में तथा पहुंच मार्ग में कुल 3256 पौधों तथा सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ के साथ, नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जावेगा।
- ❖ ग्रामवासियों के द्वारा अन्य सुविधाओं जैसे बालिका स्कूल, सामुदायिक भवन, पेयजल एवं ग्राम पंचायत में विकास के अन्य कार्यों के बारे में यह कहना चाहेंगे की खदान के संचालन के दौरान जिला खनिज निधि (DMF) के रूप में निर्धारित राशि प्रतिमाह शासन को जमा की जाती है जिसका उपयोग शासन द्वारा इन मदों में किया जाता है।
- ❖ इस जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों के द्वारा बतायी गयी अन्य परिस्थिति एवं समस्या को खनिज विभाग के माध्यम से संबंधित विभाग को अवगत कराने हेतु हमारे द्वारा सूचित कर दिया जावेगा।
- ❖ आवेदित निजी भूमि क्षेत्र में पथर उत्खनन हेतु संबंधित विभागों जैसे खनिज विभाग, पर्यावरण विभाग, नगर पंचायत, राजस्व विभाग, इत्यादि से कानून सम्मत नियमानुसार प्रक्रिया के तहत अनुमति ली जा रही है।
- ❖ डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर से वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित विस्फोट करवाया जाएगा।
- ❖ प्राकृतिक जल प्रवाह को खदान में प्रवेश करने से रोकने हेतु बंड निर्माण करते हुए, गारलैंड नाली का निर्माण किया जाने का प्रस्ताव परियोजना में दिया गया है।
- ❖ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अनुसार समस्त सार्वजनिक स्थलों से नियमानुसार दूरी रखते हुए ही लीज हेतु आवेदन किया गया है। जिसे कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा द्वारा जांच के पश्चात स्वीकृति प्रदान की गई है।

- ❖ कृषकों को आवश्यकतानुसार एवं उपलब्धता के अनुसार खनन क्षेत्र में भरा हुवा साफ जल उपलब्ध कराया जाता है एवं जिन्हें आवश्यकता हो उन्हें भी उपलब्धता होने पर प्रदान किया जायेगा। गड्ढों में भरा हुवा जल साफ एवं उपयोगी होने पर ग्रामीणों को प्रदान किया जावेगा।
- ❖ आसपास पड़े ओव्हर बर्डन को सम्मिलित रूप से डम्प करा लिया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित मे 21 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजनाओं पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 21 व्यक्तियों (01 व्यक्ति द्वारा 04 बार उद्बोधन) के द्वारा कुल 25 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका– टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 72 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

संयुक्त कलेक्टर, जिला–बालोद द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 2.25 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

संयुक्त कलेक्टर
जिला–बालोद